न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 09/14 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2014/00257

उनवान

1. राधेलाल उर्फ राधेश्याम पुत्र लखपत जाति जादो ठाकुर निवासी खेरिया पुरोहित तहसील डीग जिला डीग।

........................अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग।
2. त्रिवेणी पुत्री लखपत पत्नि दुर्गपाल जाति जादो ठाकुर निवासी खेरिया पुरोहित हाल ग्राम अऊ तहसील डीग।
3. लालवती पुत्री लखपत पत्नि राजाराम जाति जादो ठाकुर निवासी खेरिया पुरोहित हाल ग्राम लोधौली तहसील व जिला मथुरा उ0प्र0।

.... रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी डीग, दिनांक 30.12.2013 उनवानी राधेश्याम बनाम सरकार मु0न0 40/2012

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री मान सिंह सिनसिनवार उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 04.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के आदेश दिनांक 30.12.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग में स्थित है। उक्त आराजी वादी की पैतृक व पुश्तैनी है। जिसे वादी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। मौके पर भी वादी ही काबिज काश्तकार है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में खिलाफ कानून

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

व मौका गलत रूप से गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है। जिसे कलमजन किया जाकर खातेदार दर्ज किया जावें। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी राजकीय अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। वादी अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2067 लगायत 2070, संवत 2023 लगायत 2026 नकल मिलान क्षेत्रफल, संवत 2041, नकल नामान्तकरण संख्या 214 पेश किये थे तथा मौखिक साक्ष्य में बयान वादी राधेश्याम व गवाहान अशोक कुमार दर्ज कराकर अपने दावा को पूर्ण रूप से साबित किया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी अपीलाण्ट के दावा को कतई गलत रूप से विवेचित करते हुये खारिज कर दिया। जबकि वादी अपीलाण्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 ए के तहत खातेदारी अधिकारी प्राप्त कर चुका है। वादी अपीलाण्ट से पूर्व उसकी माँ अंगूरी का नाम भी उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की और बिना तनकी के ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दी जाने बाबत् दावा प्रस्तुत किया था चूंकि सन् 1969 से पूर्व सभी गैर खातेदारान को समय समय पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने बाबत् हिदायत दी हुई है व उस आधार पर भी वादी अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार प्रस्तुत करने चाहिये थे। यह है कि अपीलाण्ट की दो बहिने जिनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने बाबत् तहत न्यायालय ने आक्षेप लगाया है। जबकि अपीलाण्ट वादी की दोनों बहिने उसके पक्ष में पूर्व में ही रिलीजडीड हक त्याग कर चुकी है। जिसे भी न्यायालय तहत ने नजरअन्दाज किया है। विवादित भूमि कस्टोडियन की नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि वादी अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर अपने पूर्वजो के गैर खातेदारी स्त्रोत को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं किया है, कि उनके पूर्वजो को विवादित भूमि पर किस आधार यथा खुदकाश्त, गैर मौरुसी या आवण्टन से उनके पूर्वजो को विवादित आराजी पर गैर खातेदारी प्राप्त हुयी। राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार डीग ने भी अपने जवाब में विवादित आराजी को कभी भी वादी एवं उनके पूर्वजो को कृषि प्रयोजनार्थ नियमान्तर्गत ना तो आवंटित होना और ना ही संवत 2012 में खुदकाश्त/गैर मौरूसी के रूप में दर्ज रिकार्ड होना अवगत कराया है। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट अथवा उनके पूर्वजो का विवादित भूमि पर कोई कानूनी रूप से वैधानिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधिकार नहीं पाये जाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय दिनांक 30.12.2013 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

04.10.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)